यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ के माह 06/2015 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.08.2017 से 31.08.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामसनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री एस.के.सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अभिनव सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.06.2015 से 06.06.2015 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2010 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, पिथौरागढ

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	336.26	294.06	71.36	71.13	-	-
2015-16	-	-	341.00	298.22	55.96	55.32	-	-
2016-17	-	-	365.99	289.66	84.95	83.12	-	-
2017-18 (07/17 तक)	-	-	332.03	129.95	50.93	6.97		

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, पिथौरागढ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तर-01</u> ₹ 07.29 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 के नियम 292 (1) के अनुसार '*कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी को सामान, सेवा या किसी अन्य विशेष उद्देश्य हेतु अग्रिम स्वीकृत कर सकता है*' एवं नियम 292 **{(1)(iv)}** के अनुसार '*अग्रिम के समय पर वसूली या समायोजन, कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी*'।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के नजारत अनुभाग के पंजिका संख्या-04 एवं अस्थायी अग्रिम पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांकः ज्ञाप/प्र0ना0/2017 दिनांक 07.07.2017 के अनुसार पंजिका में विभिन्न विभिन्न अनुभागों व तहसीलों को विभिन्न कार्यों हेतु ₹ 728957 का अग्रिम लेखापरीक्षा तिथि 29.08.2017 तक असमायोजित थी। विवरण निम्नवत् है-

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	प्रकरणों की संख्या	समायोजन हेतु अवशेष धनराशि
2014-15 से पूर्व	19	207453
2014-15	12	288702
2015-16	03	85632
2016-17	07	127242
2017-18	02	19928
योग	43	728957

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अग्रिमों का समायोजन बिल प्राप्त हो गया है, शासन को पत्र प्रेषित किया गया है, धनराशि प्राप्त होने पर समायोजन किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार सभी अग्रिमों का समायोजन सम्बंधित वित्तीय वर्ष के अन्त तक हो जाना चाहिए।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण ₹07.29 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर-02</u> वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 421.21 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 0421.21 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि
2014-15 तक	24.57
2015-16 तक	253.16
2016-17 तक	421.21

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली एक अनवरत प्रकिया है तथा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वसूली प्रक्रिया में देरी होती है। भविष्य में समय पर वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तरः-03</u> ₹838.34 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान दैवीय आपदा के तहत विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं को परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु ₹958.89 लाख अवमुक्त किया गया था। विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	आबंटित राशि	उपयोगिता प्रमाण की राशि	अवशेष धनराशि
वर्ष 2015-16				
1.	लो.नि.वि., अस्कोट	19.65	11.65	8.00
वर्ष 2016-17				
2.	लो.नि.वि. डीडीहाट	128	0	128
3.	लो.नि.वि. बेरीनाग	67.00	0	67.00
4.	लो.नि.वि. पिथौरागढ़	25.00	0	25.00
5.	खण्ड विकास अधिकारी, मुनस्यारी	27.89	12.00	15.89
6.	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़	39.50	0	39.50
7.	सिंचाई निर्माण खण्ड, धारचूला	45.00	0	45.00
8.	खण्ड विकास अधिकारी, धारचूला	32.93	16.00	16.93
9.	खण्ड विकास अधिकारी, बेरीनाग	2.00	0	2.00
10.	ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहाट	22.00	3.00	19.00
11.	जिला पंचायत, पिथौरागढ़	207.24	24.00	183.24
12.	जल संस्थान, डीडीहाट	134.40	50.90	83.50
13.	जल संस्थान, पिथौरागढ़	94.78	0	94.78
14.	पेयजल निगम, डीडीहाट	39.20	0	39.20
15.	**PMJSY** खण्ड लो.नि.वि., धारचूला	9.50	0	9.50
16.	लघु सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़	21	3	18
17.	नगर पंचायत, गगोलीहाट	4	0	4
18.	नगर पंचायत, डीडीहाट	13.50	0	13.50
19.	विकास खण्ड, बिण	5.10	0	5.10
20.	विकास खण्ड, कनालीछीना	12.70	0	12.70
21.	विकास खण्ड, मानूकोट	3.50	0	3.50
22.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	5	0	5
योग		**958.89**	**120.55**	**838.34**

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत/पुनर्निर्माण अल्प अवधि 60 दिनों के अन्दर निष्पादित कराकर लाभार्थियों/प्रभावितों को तत्काल लाभ पहुंचाने की योजना थी। दिशानिर्देश के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कराया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 2015-16 में आबंटित ₹ 19.65 धनराशि के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक ₹ 8 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई को प्राप्त नहीं हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्ष 2016-17 में नोटबंदी एवं बजट की देरी से प्राप्ति के कारण बजट वितरण देरी से हुआ है, जिसके कारण वर्तमान तक यू.सी. प्राप्त नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा में उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दैवीय आपदा के कार्य तत्कालिक प्रकृति के होते हैं ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत मिले। समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र सुनिश्चित कराये जाने में जनपद प्रशासन ने तत्परता नहीं दिखायी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> रू 1.70 लाख के निष्प्रोज्य वाहनों को नीलाम न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के पेरे- 196 एवं 197 के अनुसार कार्यालय में निष्प्रोज्य वस्तुओं (जिनकी मरम्मत न की जा सके) को सक्षम अधिकारी द्वारा समिति बनाकर एवं तकनीकी सामग्री को तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा निष्प्रोज्य घोषित करके शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के निष्प्रोज्य वाहनों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय में चार वाहन (जिप्सी) निष्प्रोज्य अवस्था में खड़ी है। सीनियर फोरमेन उत्तराखण्ड परिवहन निगम पिथौरागढ़ की निरीक्षण आख्या अनुसार निष्प्रोज्य खड़े वाहनों का वर्तमान स्थिति में अनुमानित न्यूनतम विक्रय मूल्य निम्न प्रकार दिया है, जबकि वाहन संख्या UK-05-2881 पर इकाई द्वारा अभी तक नीलामी प्रक्रिया हेतु कोई कार्यवाही नही की गई है।

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन का माडल	अनुमानित मूल्य
1.	UA-05-1034	जिप्सी	60000
2.	UA-05-8466	जिप्सी	50000
3.	UA-05-1000	जिप्सी	60000
4.	UK-02-2881	जिप्सी	-
		योग	170000

उपरोक्त के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया है कि नीलामी की कार्यवाही गतिमान है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि निष्प्रोज्य वाहन अनावश्यक रुप से कार्यालय परिसर का स्थान घेरे हुए है, तथा नीलामी प्रक्रिया मे देरी के कारण मूल्य ह्रास हो रहा है, जिसका निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
नि.सि/ले.प.प्रति.-39/2010-11	-	01 दिनांक 27.07.2017 को निस्तारित	भाग-II 'ब' प्रस्तर-1. ₹18.75 लाख की धनराशि का भुगतान करने के बावजूद निर्मित पटवारी चौकियों मे 05 से 07 वर्ष व्यतीत होने पर भी जल एवं विद्युत संयोजन कार्य का अपूर्ण रहना।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-13/2015-16	-	01	भाग-II 'ब' प्रस्तर-02 धनराशि ₹ 2.08 करोड़ उपलब्ध कराने के बावजूद अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य अवरुद्ध रहना।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
नि.सि/ले.प.प्रति.-39/2010-11	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01	प्रस्तर निस्तारित दिनांक 27.07.2017	-	
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-13/2015-16	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त लेखापरीक्षा को प्रेषित किया जायेगा।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री सुशील कुमार	जिलाधिकारी	19.01.2015	02.11.2015
2.	श्री एच.सी.सेमवाल	जिलाधिकारी	03.11.2015	23.09.2016
3.	डॉ रंजीत कुमार सिन्हा	जिलाधिकारी	20.10.2016	23.03.2017
4.	श्री सी. रवि शंकर	जिलाधिकारी	27.03.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र